रामूराम बनाम रतनलाल
2022/26
निर्णय दिनांकः—03.06.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:—2022/26

दर्ज तिथिः—07.02.2022

1. रामूराम पुत्र कोजाराम
2. भाणी पत्नी कोजाराम

जाति विश्नोई निवासी धोलीनाडी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर।

...........प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. रतनलाल पुत्र गणेशाराम
2. जयकिशन पुत्र पनाराम
3. सोनाराम पुत्र पनाराम
4. राजूराम पुत्र पनाराम
5. कालूराम पुत्र पनाराम
6. भाणी पत्नी पनाराम
7. भागचन्दराम पुत्र चौखाराम
8. मला पुत्र चुतरा
9. हुकमा पुत्र चुतरा
10. रूगनाथराम पुत्र किशनाराम
11. भजनलाल पुत्र किशनाराम
12. गंगाराम पुत्र किशनाराम
13. राजीदेवी पत्नी किशनाराम
14. मोहनलाल पुत्र खींयाराम
15. भगवानाराम पुत्र खींयाराम
16. बुधराम पुत्र खींयाराम
17. हनुमानराम पुत्र खींयाराम
18. जगमालराम पुत्र फगलूराम

जाति विश्नोई निवासी झाकरड़ा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

..................असल अप्रार्थी

19. तहसीलदार धोरीमन्ना

................तरतीबी अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः—श्री रामजीवण विश्नोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111,128
राजस्थान भू—राजस्व अधि०—1956

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

रामूराम बनाम रतनलाल
2022/26
निर्णय दिनांकः–03.06.2025

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–03.06.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 65/1.6916 है0 वाके ग्राम झाकरड़ा,पटवार हल्का बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश भू.अ./2021/1392 दिनांक 9.9.2020 की पालना में दिनांक 27.10.2021 को 65/1.6916 है0 वाके ग्राम झाकरड़ा,पटवार हल्का बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु पहूंचे लेकिन मौके पर विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर से प्रतिप्रेषित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई। पत्रावली में अप्रार्थीगण को पुनः जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 2से 28 विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 2 से 28 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। असल अप्रार्थीगण संख्या 01 असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष आपतियां काउण्टर सहित प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 27.10.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए प्रार्थी के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर [illegible] किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण य[illegible] है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing*

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

survey maps and, <u>where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.</u>

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the <u>Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.</u>

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

128. Boundary disputes. - *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 27.10.2021 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करने पहुंचे लेकिन विवाद की स्थिति में पेमाईश नहीं की जा सकी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

रामूराम बनाम रतनलाल
2022/26
निर्णय दिनांक:—03.06.2025

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—111,128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 65/1.6916 है0 वाके ग्राम झाकरड़ा,पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 03.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

3/6/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:44 IST
Reason: SelfAttested